

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित
पुरी में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, प्राचीन विश्वविद्यालय
प्रशासनिक, धर्मनिरपेक्ष, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक
56-57, संसदीय क्षेत्र, जयपुरी, नई दिल्ली - 110058



Central Sanskrit University

Established by an Act of Parliament
(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan - Deemed to be University)
Under Ministry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

File No: CSU/Puri Campus/R.Sch./S-II/2022-23/889

Date: 11-08-2023

सेवा में,

Director
Central Sanskrit University
SHRI SADASHIV CAMPUS
Puri, Odisha - 752001

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संस्कृत संवर्धन योजनान्तर्गत आवासीय छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय के 33वीं अनुदान समिति की स्वीकृति के अनुसार आप के परिसर के लिए आवासीय छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय सहायता का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों एवं मानदण्ड पर प्रदान किया गया है:-

- योजना के अन्तर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार परिसर के छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए ही आवासीय छात्रवृत्ति का उपयोग उन छात्रों के भोजन एवं अल्पाहार व्यवस्था में किया जाये, तथा भोजन की गुणवत्ता बढ़ाया जाये।
- संस्कृत संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत नवीनीकृत दिशा-निर्देशों के अनुसार आवासीय छात्रवृत्ति की स्वीकृति का निर्धारण निम्नलिखित रूप से किया जा रहा है-

Scholarship	From to	Number of Scholarship	Per Student residential Scholarship	Grand Total of Residential Scholarship
Residential Scholarship	01.04.2022 to 31.03.2023	150	4800/p.a.	720000

- उपर्युक्त स्वीकृति राशि विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत किया जा रहा है।
- जिस मद के लिए केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है, उस मद में ही यथानियम अनुदान का उपयोग करना अनिवार्य है। आपके परिसर द्वारा किया गया व्यय यदि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा प्रदत्त राशि से कम होगा तो शेष राशि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली को वापस करना होगा। उक्त मद में किया गया व्यय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक होने पर उसकी व्यवस्था परिसर द्वारा किया जायेगा।
- संस्कृत संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान (आवासीय छात्रवृत्ति) का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण परिसर के निदेशक द्वारा सत्यापित कर विश्वविद्यालय को पृथक से प्रेषित करना अनिवार्य है।
- वर्ष 2023-24 में भी यदि यह वित्तीय सहायता अपेक्षित हो तो दिनांक 08-09-2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान प्राप्ति हेतु अधिसूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sanskrit.nic.in/schemes पर दिनांक 10-07-2023 से उपलब्ध है।

यह पत्र सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत किया गया है।

भवदीया,

C. M. Meena
(डॉ. छोटी बाई मीणा)
प्रभारी अधिकारी (योजना-1)

Letter No- S-2/H-4/L-10/1455

Dtd- 22-8-2023

COPY of the above CSU's Letter is hereby sent to for information and necessary action accordingly.

- 1- Prof Anupama Prusty, Ladies Hostel Warden, CSU Sec Puri
- 2- Dr D.K. Senghdeo, Boys Hostel Warden, CSU Sec Puri
- 3- Dr Swagatika Mohanty, Dy Hostel Warden CSU Sec Puri
- 4- Dr Ajayanand Sahoo, Dy Hostel Warden, CSU Sec Puri
- 5- ALL Notice board / Computer website / Hostel boards, CSU Sec Puri
- 6- L-10/H-4 file / S-2 file

DIRECTOR